19.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने एक आवेदन बाबत प्रा.पत्र प्रतिभूति विड्रा किये जाने का जरिये व्हाट्सएप भेजकर सूचित किया कि प्रार्थी बैंकर के समक्ष ऋणी ने उपस्थित होकर बकाया ऋण का एकमुश्त भुगतान कर दिया है। अतः प्रार्थी बैंकर अपने प्रकरण को स्वैच्छिक विड्रा करना चाहते है। अतः प्रकरण विड्रॉ की अनुमति दी जाकर प्रा.पत्र प्रतिभूति खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर